UPAG010056982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2415/2026

विपिन बिहारी दुबे पुत्र कैलाशी बिहारी दुबे निवासी– 26/123, सुल्तानगंज नवज्योति बिल्डिंग के पास, हरीपर्वत, थाना हरीपर्वत, आगरा उम्र करीब 55 वर्ष

——— – आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य ———————— अभियोजन पक्ष

धारा 308(4),352,351(3),317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–एत्माद्दौला, जिला आगरा
मु0अ0सं0–142/2026

दिनांकः 05.06.2026

आवेदक/अभियुक्त विपिन बिहारी दुबे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 142/2026 अन्तर्गत धारा 308(4),352,351(3),317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना एत्माद्दौला, आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पुत्र अभिषेक दुबे ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम घटना जनवरी 2026 की बताई गयी है तथा प्राथमिी से पूर्व किसी भी प्रकार का शिकायती प्रार्थनापत्र वादी एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा पुलिस उच्चाधिकारी को नहीं दिया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। अभियुक्त को दिनांक 16.05.2026 को घर से गिरफ्तार किया गया है। वास्तविकता यह है कि अभियुत वादी के यहां पर मुनीम की नौकरी करता था, वहां पर उसके द्वारा देखा गया कि वादी एवं उसकी फम्र द्वारा सरकारी पुस्तकों, जिनका वितरण सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए

किया जाना था, की रद्दी काफी मात्रा में वहां पर थी, जिसका विरोध अभियुक्त द्वारा वादी से किया गया। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा वीडियो भी बनाया गया तथा 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी गयी। अभियुक्त द्वारा वादी से कभी भी रूपया प्राप्त नहीं किया गया। उसके पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। जो भी बरामदगी दर्शित की गयी है, वह उसके स्वयं के रूपये हैं। अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अर्जुन गुप्ता द्वारा थाना एत्माद्दौला, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी िवह पुराने कागज की खरीद बिक्री का कारोबार करता है। उसकी मां श्रीमती नीता गुप्ता फर्म की प्रोप्राइटर हैं। जुलाई 2025 में उसने विपिन बिहारी दुबे को मुनीम रखा था, जो फर्म के लेन–देन का रख रखाव करता था। जनवरी 2026 से विपिनबिहारी दुबे की नीयत में खोट आ गया और उसने उसे डरा धमकाना शुरू कर दिया तथा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जब चाहे अपने वेतन के अतिरिक्त 10–20 हजार रूपये जबरन ले जाता था। फरवरी 2026 के प्रारंभ में उसने जबरन पैसे देने से मना करते हुए नौकरी से हटा दिया तो उसने गालियां देते हुए उसे डराया धमकाया तथा अपने साथी राज अग्रवाल उर्फ फरमान खान को उसके गोदाम पर ले आया, जो जबरन उसके गोदाम का वीडियो बनाने लगा,वह अपने को पत्रकार बता रहा था एवं झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए उसे डराया धमकाया एवं जबरन अपनी गारंटी पर विपिन बिहारी दुबे को उसके यहां नौकरी पर रखवा दिया। कुछ दिन बाद विपिन बिहारी दुबे पुनः उसके गोदाम में चुपचाप आग लगाने एवं बदमाशों से गोली मारने की धमकी देकर डराने लगा। उसे मानसिक रूप से डिजिटल अरैस्ट की स्थिति में लाकर तीन बार में उससे 2,50,000 रूपये जबरन ले लिया, जिससे वह मानसिक अवसाद में आ गया। दिनांक 14.05.2026 को विपिन बिहारी दुबे उसे डराकर पांच लाख रूपये जबरन ले गया। इससे वह अधिक परेशान हो गया तो उसकी पत्नी एवं मां द्वारा उसे समझाते हुए कारण पूछा, तब उसने पूरा वाकया बताया। इन लोगों ने जानबूझकर उससे जबरन धनराशि वसूलने हेतु कूटरचना की है तथा उससे लाखों रूपये जबरन हड़प लिये हैं।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना एत्माद्दौला आगरा पर मु0अ0सं0 142/2026 अन्तर्गत धारा 308(4),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता

प्राथमिकी दर्ज की गयी। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, आगरा एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्त द्वारा वादी को मृत्यु का भय दिखाते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर लाखों रूपये छल से प्राप्त किये गये। अभियुक्त के पास से 50,000 रूपये भी बरामद हुए हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्क सुने तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के मध्य यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक/अभियुक्त विपिन बिहारी दुबे, वादी की फर्म पर मुनीम के रूप में कार्यरत था तथा उसके द्वारा फर्म से संबंधित लेन–देन का कार्य किया जाना कहा गया है। प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त द्वारा जुलाई 2025 से मई 2026 तक विभिन्न समयों में उसे भयोपरत कर धनराशि प्राप्त किया जाना कहा गया है,परन्तु कथित धनराशि के संबंध में कोई सुसंगत प्रपत्र इस स्तर तक उपलब्ध केस डायरी पर उपलब्ध नहीं हैं, न ही वादी की ओर से आपत्ति के साथ ही ऐसे कोई प्रपत्र ही प्रस्तुत किये गये हैं।

अभियोजन की ओर से केस डायरी में उद्धरित सी0सी0टी0वी0 फुटेज की ओर इंगित करते हुए तर्क दिया गया है कि उसमें अभियुक्त बैग में रूपये ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तत्सम्बन्ध में इस स्तर पर मात्र सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर अन्तिम रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त द्वारा वादी को डरा धमकाकर कथित रूपये लिये गये एवं वह बैग में रूपये लेकर फर्म से निकला हो, जब कि निर्विवादित रूप से अभियुक्त वादी की फर्म पर मुनीम के रूप में कार्यरत होना कहा गया है।

आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त की अन्य कोई आपराधिक पृष्ठभूमि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपित अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने हेतु आधार उचित एवं पर्याप्त प्रतीत होते हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **विपिन बिहारी दुबे** का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त विपिन बिहारी दुबे द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किये जाये कि :–

1– आवेदक/अभियुक्त किसी भी अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त वादी मुकदमा अथवा अन्य साक्षियों को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

(**संजय कुमार मलिक**)
सत्र न्यायाधीश
आगरा।
05.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.06 06:57:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court